2025-26 चीनी सीज़न के लिए गन्ने का एफ़ आर पी 15 रुपए बढ़कर 355 रुपये प्रति क्विंटल हुआ

भारत सरकार ने चीनी मौसम 2025-26 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफ़ आर पी) 355 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है जो कि 2024-25 चीनी सीज़न से 15 रुपये अधिक है।

भारत की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने 30 अप्रैल, 2025 को चीनी सीज़न 2025-26 के लिए गन्ने के एफ़ आर पी को मंज़ूरी दी थी।

चीनी सीज़न 2025-26 के लिए एफ़ आर पी मौजूदा चीनी सीज़न 2024-25 की तुलना में 4.41% अधिक है। 2024-25 सीज़न के लिए एफ़ आर पी 340 रुपये प्रति क्विंटल है।

चीनी मिलें 1 अक्तूबर, 2025 से किसानों से नई एफ़ आर पी पर गन्ने की खरीद करेंगी।

एफ़ आर पी, 100 किलो गन्ने से 10.25% की मूल वसूली दर के लिए है। वसूली में प्रत्येक अतिरिक्त 0.1% वृद्धि के लिए, एफ़ आर पी पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम और वसूली में हर 0.1% की गिरावट के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती होगी।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सी सी ई ए ने यह भी निर्णय लिया कि चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीज़न 2025-26 में गन्ने के लिए 329.05 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।

एफ़ आर पी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया जाता है।

जहां भारत सरकार किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले एफ़ आर पी की घोषणा करती है, वहीं देश के कई राज्यों में गन्ना उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली दरों को निर्धारित करने के लिए अपना तंत्र है। इसे राज्य विवेचित मूल्य (एस ए पी) कहते हैं।

फिलहाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में गन्ने के लिए अपना स्वयं का एस ए पी है, जिसका भुगतान इन राज्यों में चीनी मिलों द्वारा किसानों को किया जाता है। एस ए पी, एफ़ आर पी से अधिक है।